10.05.19

अभियुक्त रिंकू की ओर से मु0अ0सं0–487/13 अन्तर्गत धारा–325, 323, 504 भा0दं0सं0, थाना सोहरामऊ, जिला उन्नाव में जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है।

अभियोजन की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र पर बहस करने हेतु उपस्थित नहीं हुए।

जमानत प्रार्थनापत्र पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा प्रपत्रों का अवलोकन किया।

अभियुक्त स्वेच्छया से आत्म समर्पित होकर न्यायिक अभिरक्षा में है। अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा अपराध की प्रकृति एवं विचारण में लगने वाले समय को दृष्टिगत रखते हुए जमानत का आधार पर्याप्त है। अभियुक्त द्वारा मु0–20,000/–रू0 का व्यक्तिगत बन्धपत्र व समान धनराशि की दो प्रतिभू दाखिल करने पर जमानत पर रिहा किया जाये।

ए0सी0जे0एम0 कोर्ट सं0–2, उन्नाव।